न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 170/19 वाद

1. श्रीमती रम्बा बाई बेवा गोपीलाल डांगी निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर

वादिया

बनाम

1. भंवरलाल पिता गोपीलाल डांगी, निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर
2. भूरीलाल पिता गोपीलाल डांगी, निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर
4. मांगी बाई पुत्री श्री गोपीलालजी, निवासी खरबड़ीया, तहसील–गिर्वा उदयपुर
5. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री गोपीलालजी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील–गिर्वा उदयपुर

,

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थितः– श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता वादी

श्री प्रकाश पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि मौजा नेला, पटवार क्षेत्र सवीना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में परिशष्ट (क) में अंकित आराजी नम्बर 1784 रकबा 0.1450, 1785 रकबा 0.1250, 1786 रकबा 0.1350, 1787 रकबा 0.0300, 1788 रकबा 0.2100, 4144/1790 रकबा 0.0300 कुल किता 6 कुल रकबा 0.6750 हे0 एवं परिशिष्ट (ख) में आराजी नम्बर 1789 रकबा 0.0100 स्थित है। परिशष्ट (क) में अंकित आराजीयात का खातेदार वेणीराम पिता नन्दरामजी सुथान थे तथा परिशष्ट (ख) में वेणीराम पिता नन्दराम सुथार का 1/2 हिस्सा था जिसे वेणीराम पिता नन्दरामजी सुथार ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा गोपीलाल पिता उदाजी डांगी को तारीख 06.02.1998 को विक्रय कर कब्जा सौप दिया, तब से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा गोपीलालजी काबिज चले आ रहे है। परिशष्ट (क) में अंकित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा तथा गोपीलाल जी का 1/3 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार प्रतिफल राशि देकर [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एवं गोपीलालजी ने खरीदी है व इसी हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग–उपभोग करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

चले आये है। गोपीलालजी की मृत्यु 1.06.2008 को हो गई है गोपीलाल के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व मैं वादिया हूं, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त आराजी का नामान्तरणरा पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज करा विक्रय करने पर आमदा है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मुझ वादिया के नाम विरासत से नाम नहीं दर्ज कराना चाहते है तथा मुझ वादिया को अपने हक व हिस्से से महरूम करना चाहते है, जबकि गोपीलालजी के हिस्से में मेरा भी प्रतिवादरी सख्या 1 व 2 के समान बराबर हक व हिस्सा है व कब्जा भी मुझ वादिया का प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 साथ ही चला आ रहा है। परिशष्ट (क) में अंकित आराजी गोपीलाल का 1/3 हिस्सा है जो गोपीलाल की मृत्यु के बाद मुझ वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 में निहित हुआ अर्थात मुझ गोपीलाल जी के 1/3 हिस्से में मुझ वादिया का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/9 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार काबिज चले आ रहे है। इसी तरह परिशष्ट (ख) में अंकित आराजी संख्या में गोपीलाल का 1/6 हिस्सा है जो गोपीलाल की मृत्यु के बाद मुझ वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 में निहित हुआ, अर्थात मुझ गोपीलाल के 1/6 हिस्से में मुझे वादिया का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/18 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमदा है तथा गोपीलालजी के हिस्से की भुमि का नामान्तरण पटवारी हल्का से मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम खुलवा गोपीलाल का हिस्सा भी विक्रय हस्तानान्तरण करने पर आमदा है तथा वादिया के मना करने पर भी नहीं मान रहे है व धमकी दे रहे है कि हम जमीन बेच देंगे। उक्त आराजीयात का वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के मध्य बंटवाड़ा नही हुआ है। वादिया वृद्ध महिला है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 बिना बंटवाड़ा के उक्त आराजी को विक्रय हस्तानान्तरण व खुदबुर्द करने पर आमदा है। अतः प्रार्थना है कि वादिया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कि जावे कि परिशिष्ट (क) में अंकित आराजीयात के 1/9 हिस्से की परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजीयात के 1/18 हिस्से की वादिया को खातेदार कशतकार घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे की प्रतिवादीगण 1 व 2 उक्त आराजी को विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करे, न जबरन बेदखल करे तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 उक्त आराजीयात का नामान्तरण अपने नाम नहीं खुलवाये।

प्रकरण में प्रार्थीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. श्री गोपीलाल जी डांगी पत्नि श्री प्रकाश डांगी एवं श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. श्री गोपाललाल जी डांगी पत्नी श्री लोगरजी डांगी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2015 को स्वीकार किया जाकर प्राथीगण लक्ष्मीबाई एवं मांगीबाई को प्रतिवादीगण 4 व 5 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रतिवादीगण 4, 5 की ओर से जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि परिशिष्ट (क) व (ख) में अंकित आराजी वेणीराम पिता नन्दराम जी सुथान ने मुझ प्रतिवादिया के पिता गोपीलाल पिता उदाजी डांगी द्वारा क्रय की गई है जिसमें मुझ प्रतिवादिया व [illegible] का हक व अधिकार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई कब्जा [illegible] है उक्त वादग्रस्त भुमि पर मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादिया के पिता की होने से वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा है। परिशिष्ट (क) में उक्त वादग्रस्त भुमि में प्रतिवादी न0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा नहीं है जबकि वादीया व प्रतिवादी न0 1 व 2, 4 व 5 का समान हक व अधिकार है। वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 आपस मे षड़यत्र पूर्वक मिलकर मुझ प्रतिवादिया 4 व5 को महरूम कर वाद की 1/3 हिस्से की घोषणा चाही गई है व वादग्रस्त भुमि में मुझ प्रतिवादिया 4 व 5 का 1/5, 1/5 हिस्सा है व गोपीलाल की अचल सम्पति में हमारा समान हक व अधिकार है। परिशिष्ट (ख) में वादिया व प्रतिवादीगण 1 व 2 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा होना स्वीकार नहीं गोपीलाल जी की स्ववर्जित भूमि है जिसमें मुझ प्रतिवादिया 4 व 5 का सम्मान हक व हिस्सा है वादिया ने गलत तथ्य अंकित कर परिशिष्ट (ख) 1/18 हिस्से की घोषणा चाही गई है यह पूर्ण रूप से असत्य है। गोपीलाल जी की मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2, 4 व 5 है जिससे उक्त वादग्रस्त भुमि में गोपीलाल के वारिसानों का समान हक व अधिकार है व किसी प्रकार से वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने क अधिकारी नहीं है। साथ ही प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा नेला, पटवार क्षेत्र सवीना, तहसील गिर्वा में स्थित आराजी नम्बर 1784 रकबा 0.1450, 1785 रकबा 0.1250, 1786 रकबा 0.1350, 1787 रकबा 0.0300, 1788 रकबा 0.2100, 4144/1790 रकबा 0. 0300 कुल किता 6 कुल रकबा 0.6750 हे0 एवं परिशिष्ट (ख) में आराजी नम्बर 1789 रकबा 0.0100 स्थित है, जो गोपीलाल पिता उदा जी डांगी मुझ प्रतिवादिया 4 व 5 के पिता व वादिया के प्रति एवम् प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता है। उक्त वादग्रस्त भुमि गोपीलाल पिता उदा जी डॅागी द्वारा क्रय की गई है जिसमें हमारा भी बराबर हक व हिस्सा है। परिशिष्ट (क) में मुझ प्रतिवादिया नम्बर 4 व 5 का 1/5 हिस्सा की अधिकारी व परिशिष्ट (ख) में भी वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 का सम्मान हक व अधिकार है। वादग्रस्त भुमि मौरूसी सम्पति है। वादग्रस्त भुमि में वादिया हक व हिस्सा घोषित कराने की अधिकारिणी है।

प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण सीधे साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में मूल वाद की वादिया की पूर्व में मृत्यु हो चकी है। वादिया के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का प्रतिदावा डिक्री कराने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी 1 व 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी 1 व 2 के साक्ष्य अवसर बंद कर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभय पक्ष द्वारा दावे प्रतिदावे में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की। बहस पर मनन एवम् पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय का मत है कि वाद में अंकित परिशिष्ठ (क) एवं (ख) की भुमि के खातेदार स्वर्गीय गोपीलाल पिता उदा डांगी का हिस्सा इनके विधिक वारिसानों के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त वाद इस आशय से डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार गिर्वा मौजा नेला की आराजी नम्बर 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 4144/1790 किता 6 कुल रकबा 0.6750 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1789 रकबा 0.0100 [illegible] में गोपीलाल के दर्ज हिस्से अनुसार गोपीलाल के विधिक वारिसानों की जांच [illegible] अनुसार उनके नाम दर्ज करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदारामद करावे। तहसीलदार गिर्वा को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस. मुकद्मा 170 सन 2019 सीगह वाद

1. श्रीमती रम्बा बाई बेवा गोपीलाल डांगी निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर

वादिया

बनाम

1. भंवरलाल पिता गोपीलाल डांगी, निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर
2. भूरीलाल पिता गोपीलाल डांगी, निवासी सवीना, माताजी के मन्दिर के पास, तहसील–गिवा, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर
4. मांगी बाई पुत्री श्री गोपीलालजी, निवासी खरबड़ीया, गिर्वा उदयपुर
5. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री गोपीलालजी, निवासी एकलिंगपुरा, गिर्वा उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की और से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी एवं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रकाश पटेल की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद हिक्री किया जाता है। मौजा नेला की आराजी नम्बर 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 4144/1790 किता 6 कुल रकबा 0.6750 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1789 रकबा 0.0100 हेक्टेयर आ.चा. में गोपीलाल के दर्ज हिस्से अनुसार गोपीलाल के विधिक वारिसानों की जांच तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदारामद करावे।

और इस वाद के खर्चे लेखे ..... रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सगिहत ..... द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested